



सत्यमेव जयते

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
**MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE
 CHANGE**
 एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ / **Integrated Regional
 Office, Chandigarh**



F.No.-: 9-HRB068/2022-CHA

दिनांक: September, 2022

सेवा में,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन),
 हरियाणा सरकार,
 हरियाणा सिविल सचिवालय,
 चण्डीगढ़।
fcforest@hry.nic.in

विषय: **Diversion of 0.0144 ha. of forest land for access to M/s Damaira Pharmaceuticals Pvt. along Panchkula-Naraingarh Road, L/ Side at Village Haripur, Tehsil Ranipur Rani, under forest division Morni-Pinjore and District Panchkula, Haryana. (Online Proposal No. FP/HR/Approach/141354/2021)**

संदर्भ: State Government's letter no. Admin-D-3-10190/1817 dated 07.09.2022.

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय से संदर्भांकित पत्र का अवलोकन करें जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अधीन अनुमति मांगी गई है।

2. राज्य सरकार के प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात उपर्युक्त विषय हेतु **0.0144** हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग के लिए सैधांतिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरी करने पर प्रदान की जाती है।

(A) वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा वन भूमि सौंपने से पहले अनुपालन करने की आवश्यकता है:-

- i. प्रयोक्ता एजेंसी से CA स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाए।
- ii. प्रयोक्ता एजेंसी से ACA स्कीम के अनुसार अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाए।
- iii. **WP (C) No. 202/1995, IA No. 566** में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2011-FC (vol-I) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि की नैट प्रजेंट वैल्यु जमा करवाई जाये।
- iv. प्रयोक्ता एजेंसी भुगतान राशि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट www.parivesh.nic.in पर केवल ऑनलाइन माध्यम से जमा करवाएगी |
- v. प्रयोक्ता एजेंसी को यह सुनिश्चित करना है कि प्रतिपूरक शुल्क (सीए लागत, एनपीवी, आदि) वेब पोर्टल पर ऑनलाइन उतपन्न चालान के माध्यम से जमा किए जाते हैं और केवल उपयुक्त बैंक में जमा किए जाते हैं। अन्य माध्यम से जमा की गई राशि को S-I clearance के अनुपालन के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- vi. सक्षम प्राधिकारी से निर्गत **FRA** प्रमाण पत्र जमा करना होगा।

(B) वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को वनभूमि सौंपने के बाद फील्ड में कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है, परन्तु अंडरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज-II अनुमोदन से पहले प्रस्तुत किया जाना है:-

- i. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
 - ii. प्रस्ताव के अनुसार कम से कम वृक्ष/पौधों काटे जायेंगे और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्यजीवों को न्यूनतम नुकसान पहुंचाया जाएगा | प्रस्ताव में काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या **10** और पौधों की संख्या **07** से अधिक नहीं होगी |
 - iii. सीए योजना के अनुसार, **100** पौधे लगाकर, **0.10** हेक्टेयर (C-37 Babadwali beat, Meerpur block, Raipur Rani range) वन भूमि पर सीए किया जाएगा और धन उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षारोपण किया जाएगा।
 - iv. एसीए योजना के अनुसार, **14** पौधे लगाकर, **0.014** हेक्टेयर (C-37 Babadwali beat, Meerpur block, Raipur Rani range) वन भूमि पर एसीए किया जाएगा और धन उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षारोपण किया जाएगा।
 - v. राज्य सरकार वन भूमि को प्रयोक्ता एजेंसी को सौंपने से पहले FSI के ई-ग्रीन वॉच पोर्टल में प्रतिपूरक वनरोपण के लिए स्वीकृत degraded वन क्षेत्र की KML Files को अपलोड करेगी |
 - vi. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा ।
 - vii. जब कभी भी NPV की राशि बढ़ाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी |
 - viii. इस प्रस्ताव को **45** वर्षों के लिए अनुमति प्रदान की जायेगी, इसके उपरांत पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी।
 - ix. साथ लगते वन और वनभूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जायेगा और साथ लगते हुए वन और वनभूमि को बचाने के लिये सभी प्रयत्न किये जायेंगे।
 - x. स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वनभूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा |
 - xi. केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की लेआउट प्लान को बदला नहीं जायेगा |
 - xii. कूड़ा कर्कट निपटान जारी योजना के अनुसार किया जायेगा |
 - xiii. अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय - समय पर लगाई जा सकती है |
 - xiv. यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।
 - xv. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 and Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines & Clarifications), 2019 में उल्लेखित दिशानिर्देश 1.21 के अनुसार कार्यवाई की जायेगी।
 - xvi. यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।
4. उपरोक्त पैरा -2 के अधीन शर्तों की अनुपालना रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अधीन अन्तिम स्वीकृति के लिये प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा | केन्द्रीय सरकार की अन्तिम अनुमति दिये जाने तक वन भूमि का उपयोग नहीं किया जायेगा |

यह पत्र सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरांत जारी की जा रही है |

भवदीय

Sd/-

(राजा राम सिंह)

उप-वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

IRO, MoEF&CC, Chandigarh

प्रतिलिपि:-

1. वन महानिरीक्षक (वन), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग, अलीगंज, नई दिल्ली। (fcdiv-mefcc@gov.in)
2. PCCF (HoFF), Forest Department, Government of Haryana, C-18, Van Bhawan, Sector-6, Panchkula, Haryana. (pccf-hry@nic.in)
3. Divisional Forest Officer, Forest Division Morni-Pinjore & District Panchkula, Haryana. (dfomorni@gmail.com; dfo.pjr-hry@nic.in)
4. M/s Damaira Pharmaceuticals Private Ltd., Village Haripur, Panchkula- Naraingarh Road, Teh. Raipur Rani Distt Panchkula, Haryana. (damairaexports@gmail.com)